

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 29.05.2022

ऑपरेशन पाताल के तहत शातिर अपराधी अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे ऑपरेशन पाताल अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के कुशल पर्यवेक्षण में व रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28/05/2022 को ऑपरेशन पाताल के तहत थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चौकी प्रभारी जेल रोड उ0नि0 रामानुज सिंह यादव द्वारा एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त उपेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 रामहरख शर्मा निवासी बशारतपुर चतुर्वेदी गली थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर उम्र 27 वर्ष को जेल रोड तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 224/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

उपेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 रामहरख शर्मा निवासी बशारतपुर चतुर्वेदी गली थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर उम्र 27 वर्ष

बरामदगी:- एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय:- जेल रोड तिराहे के पास , समय 23.10 बजे दिनांक 28.05.2022 ।

अभियुक्त उपेन्द्र शर्मा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 388/2019 धारा 380,411 भादवि थाना शाहपुर ।
2. मु0अ0सं0 545/2019 धारा 380,457 भादवि थाना शाहपुर ।
3. मु0अ0सं0 1407/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर ।
4. मु0अ0सं0 0548/ 2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शाहपुर ।
5. मु0अ0सं0 1006/2020 धारा 188,269,270 भादवि व 3 महामारी अधि0 थाना शाहपुर ।
6. मु0अ0सं0 224/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम :-

- 1-उ0नि0 रामानुज सिंह यादव चौकी प्रभारी जेल रोड थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- 2-आरक्षी दुर्गेश यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ।
- 3- आरक्षी आजाद अली थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ।
- 4- आरक्षी विनय यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ।